I Fafeta

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 804 / 2010

<u>संस्थित दिनाँक-16.12.2010</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म0प्र0)

....अभियोगी

विरूद्ध

- 1.बृजेश पुत्र दीवान सिंह नरविरया उम्र 27 साल, निवासी कल्यानपुरा रोड गोरमी जिला भिण्ड 2. अनिल उर्फ मोनू पुत्र हितेन्द्र उर्फ जितेन्द्र भदौरिया उम्र 28 साल निवासी— मानहड थाना गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0
- 3. कुंडे उर्फ अनिल पुत्र लालता उर्फ पहारे उर्फ निरोत्तम भदौरिया उम्र 27 साल, निवासी मानहड़ थाना गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0 4. रामविहारी पुत्र राजे उर्फ राजेश सिंह भदौरिया उम्र 28

4. रामावहारा पुत्र राज उक्त राजश सिंह मदारिया उम्र 2 निवासी— मानहड़ थाना गोरमी जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

__: निर्णय ::-{आज दिनांक 23.01.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 380, 457 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.11.2010 के सुबह करीब 04:00 बजे फरियादी दीपू अग्रवाल की दुकान जो कि संपत्ति की अभिरक्षा में आती है, में प्रवेश कर उसमें रखा किराने का सामान बेईमानी की नियत से ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया तथा फरियादी की दुकान में चोरी करने की नियत से रात्री में प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि सुबह करीब 04:00 बजे फरियादी दीपू अग्रवाल जिसकी दुकान निगोतिया पेट्रोल पंप के सामने ग्वालियर रोड पर थी, उसे राजा दांगी ने फोन करके बताया कि उसकी दुकान पर से 04 चोर दुकान तोड़कर सामान चोरी कर सामान लेकर भाग रहे हैं और उसका पीछा वे लोग कर रहे हैं। उक्त सुचना से फरियादी अनिल जैन नामक व्यक्ति के साथ मोटरसाईकिल पर आया और दुकान टूटी दिखी, जिधर पुलिस गई थी, उधर वे लोग गए। पहाड़ नाके पर पहुंचे तब तक पुलिस ने दो चोर सामान सहित पकड़ लिए। एक का नाम अनिल उर्फ मोनू तथा दूसरे का नाम बृजेश सिंह पुत्र दीवान सिंह था, जिनके पास टाट की दो बोरी में दुकान का सामान सिगरेट, कीम आदि करीब 15000/— रूपए का पाया गया। भागे हुए दो साथियों के नाम अन्य दो अभियुक्तगण ने रामविहारी एवं कुंडे उर्फ अनिल बताया। इसके बाद वे

लोग वापस आए और थाना गोहद चौराहे में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट से अपराध कमांक 178/10 पंजीबद्ध की गई। दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, नक्शमौका बनाया गया, जप्ती कर जप्तीपत्रक बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण द्वारा उनके निर्दोष होने एवं झूंडा फंसाये जाने का बचाव लिया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1.क्या दिनांक 18.11.2010 को सुबह करीब 04:00 बजे फरियादी दीपू की दुकान स्थित गोहद चौराहे जो कि संपित्त की अभिरक्षा में आती थी, उसमें से संपित्त की चोरी हुई? 2.क्या अभियुक्तगण ने सूर्यास्त पश्चात् एवं सूर्योदय पूर्व फरियादी की उक्त दुकान में से रात्रि में प्रवेश कर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित किया ?

<u> —:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनिल जैन अ०सा० 1, वालिकशन अ०सा० 2, प्रधान आरक्षक अमर वहादुर अ०सा० 3, सतीश डंडोतिया अ०सा० 4, राजा दांगी अ०सा० 5, दीपू अग्रवाल अ०सा० 6, सतीश शर्मा अ०सा० 7 एवं रामदास गुप्ता अ०सा० 08 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष

6. फरियादी दीपू अग्रवाल अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य से 5–6 साल पहले सुबह सात साढ़े सात बजे की है। उनके सामान की चोरी हो गई थी। साक्षी को राजादांगी नामक एक पुलिस व्यक्ति बुलाने आया था। उसने बताया था कि दुकान से चोरी हो गई है। फिर वह राजा के साथ आया और दुकान के पीछे देखा तो दुकान फूटी हुई थी। फिर वह राजा के साथ आरोपियों को देखने गया। आगे चलकर राजा ने दो मुलजिम पकड़े थे, किंतु उनका नाम याद नहीं होना बताता है। साक्षी घटना के संबंध में थाना गोहद में लिखित आवेदन प्र0पी0 10 दिया जाना बताता है, जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। आवेदन के साथ माल की सूचना प्र0पी0 11 बताते हुए उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। पुलिस द्वारा आवेदन से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 06 पंजीबद्ध किए जाने और उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। घटना स्थल का नक्शामीका प्र0पी0 07 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर बताता है। जप्तीपत्रक प्र0पी0 01, गाड़ी का जप्तीपत्रक प्र0पी0 02 पर सी से सी भाग पर

हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। इस प्रकार से फरियादी द्वारा उसकी दुकान में पीछे से फोड़ कर चोरी किए जाने के संबंध में अभिकथन किया गया है।

- 7. अनिल जैन अ०सा० 01 यह कथन करते हैं कि वे फरियादी दीपू अग्रवाल को जानते हैं। यह कथन करते हैं कि साक्ष्य से 5–6 साल पहले फरियादी की दुकान से चोरी हो गई थी। जब वे थाने पर जानकारी लेने गए तो वहां पर भीड़ लगी थी, पुलिस वाले खड़े थे, किंतु चोरी के सामान व चोरों के बारे में कोई जानकारी न होना बताते हैं। यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में जप्तीपत्रक प्र०पी० 01 व 02 पर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 03 व 04 पर अपने हस्ताक्षरों को तो प्रमाणित करता है किंतु फरियादी की दुकान से चोरी में क्या—क्या सामान चोरी हुआ इसके संबंध में कोई भी कथन नहीं करता है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों में सुझाव दिया गया तो साक्षी ने उन सुझावों से इंकार किया और पुलिस कथन प्र०पी० 05 के विनिर्दिष्ट भाग को भी पढ़कर सुनाए जाने पर ऐसा कोई भी कथन पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है।
- 8. फरियादी दीपू अ0सा0 06 के अनुसार उसे घटना की सूचना राजा दांगी अ0सा0 05 द्वारा दी गई, राजादांगी अ0सा0 05 यह कथन करते है कि वे दिनांक 18.11.2010 को थाना गोहद चौराहे में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक अमर बहादुर, सतीष, रामदास के साथ कस्बा गस्त कर रहे थे, तभी उन्हें ग्वालियर रोड की साईड पर एक मोटरसाईकिल पर 3—4 लोगों को देखा एवं उनमें से एक लड़का भाग गया था और दो लड़कों को उन्होंने पकड़ लिया था। उन्हें सभी लड़के दीपू की दुकान के पीछे आते दिखे, जब उन्होंने लोगों को टोका तो वे लोग भागे थे फिर उनका पीछा करने पर पहाड़ नाके पर दो लड़के मोटरसाईकिल पर पकड़े थे। नाम पूछने पर एक का नाम अनिल उर्फ मोनू दूसरे का नाम हितेन्द्र बताया था, उनके पास मिटाई का डिब्बा था, जिस पर गिर्राज मिष्टान भंडार का स्टीगर लगा था। कुछ पुराने पीयर्स साबुन मिले थे। वे अपना पता ग्वालियर का बता रहे थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे गए तो साक्षी ने स्वीकार किया कि जिन दो लड़कों को पहाड़ नाके के पास मोटरसाईकिल से पकड़ा, उनका नाम पूछने पर अनिल उर्फ मोनू पुत्र जितेन्द्र व हितेन्द्र निवासी मनहड़ का होना बताया था। एक व्यक्ति का नाम बृजेश पुत्र दीवान सिंह निवासी गोरमी का होना बताया था। इस प्रकार से यह साक्षी सूचक प्रश्नों में अभियोजन के मामले का समर्थन करता है।
- 09. अमर बहादुर अ0सा0 03 भी साक्षी राजा दांगी अ0सा0 05 के समान गस्त करने का कथन किया है। अमर बहादुर अ0सा0 03 यह कथन करते हैं कि दिनांक 18.11.2010 को रात्रि पौने चार बजे राजा दांगी, सतीश शर्मा कस्बा गस्त कर रहे थे। गस्त के दौरान दो लड़के दीपू की दुकान के पछे सामान के साथ दिखे, तब राजा दांगी ने दीपू को फोन किया कि तुम्हारी चोरी हो गई और चारों का पीछा किया और पहाड़ नाके पर दो लोग पकड़े, जिनके नाम अनिल उर्फ मोनू और हितेन्द्र बताते

हैं। दो लोगों के भाग जाने का कथन करते हैं। यह साक्षी भी अन्य अभियुक्त का नाम सूचक प्रश्नों में स्वीकार करता है। सतीश अ०सा० 04 इस बात का समर्थन करते हैं कि दिनांक 18.11.2010 को वे गश्त कर रहे थे और पौने चार बजे रात को तिलकसिंह गुर्जर मार्केट के पीछे बाथरूम करने गया तो दो लोग मोटरसाईकिल लिए खड़े थे, उन्हे रोका तो वे भागे, बाहर चौकी के पास उन लोगों को पकड़ लिया था, जिनका नाम अनिल, मोनू, हितेन्द्र व बृजेश बताते हैं। आरोपीगण के पास टाट के दो बोरे जिस पर काले मार्कर से दीपू लिखा बताता है। उक्त सामान को खोलकर देखने पर सैम्पू, पाउच, सिगरेट गुटका व अन्य सामान मिलने का कथन करते हैं। यह साक्षी भी पकड़े गए दो व्यक्तियों के नाम सूचक प्रश्नों में अभियुक्त अनिल व बृजेश के रूप में स्वीकार करता है और भागे साथियों के नाम अन्य अभियुक्त समविहारी, कुंडे उर्फ अनिल के रूप में स्वीकार करता है।

- 10. आरक्षक रामदास अ०सा० 08 यह कथन करते हैं कि वे भी उक्त लोगों के साथ करब गश्त कर रहे थे और तिलकसिंह गुर्जर मार्केट के पास दीपू की दुकान के पीछे 04 लड़के आते दिखे, उन्हें रोका तो तो वे भाग गए। लड़के मोटरसाईकिल पर थे। मोटरसाईकिल पर टाट की दो बोरी रखे थे, जिनका पीछा किया और पहाड़नाके के पास उन लोगों को पकड़ा। उक्त सामान आरोपीगण दीपू की दुकान से चोरी करके लाये थे। उनका नाम पता पूछा तो अनिल उर्फ मोनू, अनिल उर्फ टुण्डे, बृजेश और रामविहारी बताया था। दो लड़के भाग गए थे और दो लड़के पकड़ लिए थे। यह साक्षी अभियुक्तगण के पास से प्राप्त बोरों को खोल कर देखने पर गुटका, सिगरेट आदि सामान मिलने का कथन करते हैं।
- 11. प्रकरण में फिरियादी दीपू अ०सा० ०६ द्वारा उसकी दुकान से सामान चोरी होने तथा उक्त सामान चोरी हो जाने के संबंध में थाने में लिखित आवेदन प्र०पी० 10 दिए जाने का कथन किया गया है। अनिल अ०सा० ०1 ने भी फिरियादी की दुकान से चोरी का समर्थन किया है। वालिकशन अ०सा० ०2 ने अपने मुख्यपरीक्षण में फिरियादी दीपू द्वारा प्र०पी० 10 के आवेदन दिए जाने पर अपराध क्रमांक 178/10 पर प्राथमिकी प्र०पी० ०६ पंजीबद्ध किए जाने, जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। प्र०पी० 11 की सामान की सूची के मुताविक फिरियादी ने उसकी दुकाने से सामान चोरी होने का कथन किया है। उक्त सूची पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अभियुक्तगण की ओर से फिरियादी की दुकान से उक्त प्र०पी० 11 की सूची में उल्लेखित सामान दिनांक 18.11.2010 को चोरी होने के तथ्य को चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसे में यह तथ्य चुनौतीविहीन रहने से एवं साक्षी वालिकशन अ०सा० ०२, अमर बहादुर अ०सा० ०३, सतीश अ०सा० ०४, राजादांगी अ०सा० ०५, रामदास अ०सा० ०८ के अभिसाक्ष्य एवं उल्लेखित आवेदन प्र०पी० 10, प्राथमिकी प्र०पी० ०६ के दस्तावेजी साक्ष्य से अखंडित रहने के कारण यह प्रमाणित है कि दिनांक 10.11.2010 को फिरियादी दीपू की दुकान से चोरी हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या

अभिकथित चोरी अभियुक्तगण द्वारा सूर्यास्त पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व फरियादी की दुकान को फोड़कर उसमें प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न या गृह अतिचार कारित कर की गई ?

विचारणी प्रश्न कमांक 02 का निष्कर्ष

- 12. फरियादी दीपू अ०सा० ०६ अपने अभिसाक्ष्य में उसकी दुकान को फोड़कर चोरी किए जाने के संबंध में कथन अवश्य किया गया है, किंतु किस व्यक्ति ने चोरी की इसके संबंध में उसके द्वारा कोई कथन नहीं किया गया। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे, जिसमें साक्षी ने चोरों के नाम अभियुक्त अनिल उर्फ मोनू तथा बृजेश पुत्र दीवान सिंह के रूप में बताए जाने के तथ्य से इंकार किया है। साथ ही भागे हुए दो अन्य साथियों के नाम रामबिहारी व अनिल उर्फ कुंडे के रूप में पता चलने के तथ्य से इंकार किया है। साक्षी ने लिखित रिपोर्ट प्र०पी० 10, प्राथमिकी प्र०पी० ०६ के विनिर्दिष्ट भागों में अभियुक्तगण के नाम व उनको जप्त संपत्ति के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। साक्षी ने प्र०पी० 12 के पुलिस कथन में ए से ए भाग के संपूर्ण कथन से इंकार किया है। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अभियुक्त बृजेश व अनिल से पुलिस ने जप्ती पत्रक प्र०पी० ०1 के अनुसार 46 वस्तुएं जप्त की थीं तथा मोटरसाईकिल की जप्ती के संबंध में भी इंकार किया है।
- 13. स्वतंत्र साक्षी अनिल जैन अ०सा००1 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि उसे चोरी के सामान व चोरों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने न तो चोर देखे और न ही चोरी का सामान देखा। इस साक्षी ने भी प्र०पी० 01 व 02 के जप्तीपत्रक तथा 03 व 04 के गिरफ्तारी पत्रक पर मात्र हस्ताक्षरों स्वीकार किए हैं। वह न तो अभियुक्तगण के नाम व पहचान के संबंध में कोई कथन करता है और न ही उनके पास से अभिकथित चोरी की संपत्ति जप्त होने के संबंध में कोई कथन करता है। इस प्रकार से अभियोजन के दोनों महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। ऐसे में अभियोजन का संपूर्ण मामला पुलिस सािक्ष्यों के साक्ष्य पर निर्भर हो जाता है।
- 14. प्रकरण में साक्षी राजा दांगी अ0सा0 05 जिसके द्वारा फरियादी को अभिकथित चोरी की सूचना मिलने का कथन करता है। वह अपने मुख्य परीक्षण में सर्वप्रथम तो मोटरसाईकिल पर 3–4 लोगों को देखने और उनमें से एक लड़के का भाग जाने का कथन करता है। तत्पश्चात् यह साक्षी दो लड़कों को पहाड़नाके पर मोटरसाईकिल पर पीछा कर पकड़ने के संबंध में कथन करते हैं, जिन में एक व्यक्ति का नाम अनिल उर्फ मोनू दूसरे का नाम हितेन्द्र बताता है, जबिक हितेन्द्र नाम का कोई अभियुक्त प्रकरण में नहीं है। उक्त व्यक्ति के पास मिटाई का डिब्बा और उस पर गिर्राज मिष्टान भंडार का स्टीकर लगे होने के संबंध में कथन करते हैं। ऐसा कोई मिटाई का डिब्बा प्र0पी0 01 में जप्त नहीं है। साक्ष्य में पुराने पीयर्स साबुन मिलने का भी कथन करते हैं, किंतु प्र0पी0 01 के

जप्तीपत्रक एवं प्र0पी0 11 की चोरी हुई सामान की सूची में कोई पीयर्स साबुन लिखा नहीं है। इसके अतिरिक्त पकड़े गए व्यक्ति का पता ग्वालियर होना बताते हैं, जबिक अभियुक्तगण में से कोई भी व्यक्ति स्वयं अभियोजन के अभियोग पत्र के अनुसार ग्वालियर का निवासी नहीं है। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण की संलिप्तता का तथ्य प्रश्नचिन्हित हो जाता है। साक्षी को जब अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्नों में सुझाव दिया जाता है तो यह साक्षी पकड़े गए व्यक्तियों के नाम अभियुक्त अनिल उर्फ मोनू तथा बृजेश पुत्र दीवान सिंह होने तथा मोटरसाईकिल एमपी 30 एमसी 5208 पर अभियुक्तगण के होने का कथन स्वीकार करते हैं। साक्षी मुख्य परीक्षण में पकड़े गए व्यक्तियों से एक मिटाई का डिब्बा व कुछ पुराने पीयर्स साबुन मिलने का तथ्य बताता है, जबिक प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि बोरी में क्या सामान था, उसने नहीं देखा था और आरोपी दिखने में कैसे थे, इसके संबंध में भी कथन करने में असमर्थ है। ऐसे में उक्त चछुदर्शी साक्षी संदेहपूर्ण है।

प्रधान आरक्षक अमर बहादुर अ०सा० ०३ अपने मुख्य परीक्षण में दो लड़कों के फरियादी दीपू की दुकान के पीछे दिखने का कथन करते हैं। पकड़ने पर उनका नाम अनिल कुमार उर्फ मोनू, हितेन्द्र बताते हैं। यह साक्षी भी सूचक प्रश्नों में दूसरे व्यक्तियों का नाम बृजेश पुत्र दीवान सिंह नरवरिया बताता है। मुख्य परीक्षण में जहां अभियुक्त से कोई सामान जप्त किए जाने के संबंध में कथन नहीं करता, वहीं सूचक प्रश्नों में दो बोरे टाट के जिन पर दीपू लिखा होना बताते हुए पकड़े जाने का कथन करता हैं । यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में स्वीकार करता है कि रोड पर खड़े हों तो दुकान का पीछे का हिस्सा नहीं दिखेगा, जबकि फरियादी के अनुसार दुकान के पीछे की तरफ से संपत्ति की चोरी की गई है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में जप्तश्र्दा मोटरसाईकिल का नं0 तो बताता है किंतु उक्त मोटरसाईकिल कौनसी व किस मॉडल की थी, इसके संबंध में जानकारी का अभाव होना व्यक्त करता है। आरक्षक सतीश अ०सा० ०४ अपने अभिसाक्ष्य में कथन करता है कि वे तिलकसिंह गुर्जर मार्केट के पीछे बाथरूम करने गए थे तो देखा कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल लिए खड़े थे, जिन्हें रोका तो वे मोटरसाईकिल लेकर भागे। यह साक्षी उन व्यक्तियों को पकड़ने पर उनका नाम अनिल उर्फ मोनू, हितेन्द्र व बृजेश बताता है और टाट की बोरी खोलकर देखने पर शैम्पू, पाउच, सिगरेट व ग्टका मिलने का कथन करता है। यह साक्षी भी पकड़े गए अभियुक्तगण का नाम सूचक प्रश्नों में बताता है और भाग गए व्यक्तियों के नाम भी अभियोजन द्वारा सुझाए जाने पर बताता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में स्वीकार करता है कि उसने तिलकसिंह मार्केट के पीछे पेशाब करने वाली बात अपने बयान में नहीं लिखाई थी। साक्षी घटना में लिप्त अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में उनके नाम के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में जब कथन नहीं करता तब अभियोजन द्वारा सुझाए जाने पर उसका कथन नैसर्गिक कथन नहीं है। उक्त साक्षियों के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में पकड़े गए व्यक्तियों के संबंध में उनके नाम व भागे हुए व्यक्तियों के नाम अभियोजन द्वारा बताए जाने पर स्वीकार किए हैं। ऐसे में उक्त व्यक्तियों के द्वारा अभियुक्तगण की संलिप्तता के

संबंध में नैसर्गिक कथन नहीं किया गया है। अर्थात् जहां स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया, वहीं पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के संबंध में स्पष्ट व समर्थनकारी साक्ष्य का अभाव है।

- 16. रामदास अ०सा० ०८ अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दीपू की दुकान के पीछे से चार लड़के आते दिखे, उन्हें रोका तो वे भागे। मोटरसाईकिल पर टाट के दो बोरे रखे थे। उनका पीछा किया तो पहाड़ नाके के पास उनको पकड़ा और बोरों में देखने पर गुटका, सिगरेट आदि सामान निकला था। उन लड़कों का नाम पूछने पर यह साक्षी अनिल उर्फ मोनू, अनिल उर्फ टुण्डे, बृजेश तथा रामबिहारी होना बताता है।इस प्रकार से यह साक्षी अपना साक्ष्य आरक्षकों से भिन्न चार लड़कों को पकड़ने का कथन करता है और उनके नाम अभियुक्तगण के रूपमें बताता है। बाद में यह कथन करता है कि दो लड़के भाग गए थे व दो पकड़ लिए थे। इस प्रकार से साक्षी का अभिसाक्ष्य पुलिस के अन्य साक्षियों से विरोधाभाषी है।
- 🎙 प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त कर लिया गया है। फरियादी दीपू अ०सा० ०६ द्वारा यहां अभियुक्त के रूप में अनिल उर्फ मोनू तथा बृजेश नाम के व्यक्तियों से जप्तीपत्रक प्र0पी0 01 के अनुसार सामान जप्त किए जाने के तथ्य से इंकार किया है । अभिकथित सामान जप्तीपत्रक प्र0पी0 01 के अनुसार घटनास्थल से जप्त न होकर थाना गोहद चौराहे पर जप्त दर्शाया है। अभिकथित जप्ती घटना स्थल पर क्यों नहीं की गई, इसके संबंध में समुचित कारण उल्लेखित नहीं है। फरियादी का नं0 आरक्षक राजादांगी अ0सा0 05 के पास कहां से प्राप्त हुआ, इसके संबंध में कोई कथन नहीं है। पुलिस आरक्षकों का घटना की रात्रि को गश्त पर होने के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई प्रमाण रोजनामचासान्हा अथवा कर्तव्य प्रमाणपत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन व्यक्तियों के सामने जप्त होना बताया गया उनके संबंध में पुलिस साक्षियों के अभिसाक्ष्य भी परस्पर विरोधाभाषी हैं। चारों नामों के संबंध में साक्षियों द्वारा परस्पर विरोधाभाषी कथन किए गए हैं। राजा दांगी अ०सा० 05 उन्हें 3-4 लोगों के दिखने के संबंध में बताते हैं। सतीश अ0सा004 02 व्यतियों के दिखने के संबंध में कथन करते हैं। अमर बहादुर अ०सा० ०३ दीपू की दुकान के पीछे दिखने का कथन करते हैं तो रामदास अ०सा० 08 दुकान के पीछे से 04 लड़के आते दिखने का कथन करते हैं। ऐसे में उक्त पुलिस साक्षियों के द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है वह संपुष्टकारी न होकर विरोधाभाषी है।
- 18. प्रकरण में अभिकथित अभियुक्त अनिल उर्फ कुंडे व राम विहारी के अपराध में संलिप्त होने के आधार पकड़े गए अभियुक्तगण से प्राप्त जानकारी को बताया गया है, जबिक अभिकथित पकड़े गए अभियुक्त अनिल उर्फ मोनू तथा बृजेश पुत्र दीवान सिंह से कोई कथन लिया है, इसकी जानकारी

अभिलेख पर नहीं है। अनुसंधानकर्ता बालिकशन अ०सा० 02 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने 07.12.2010 को अनिल उर्फ कुंडे तथा 11.12.2010 को रामिबहारी का कथन लिया था। उक्त अभिकथन अभियोगपत्र में संलग्न हैं, जो धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन के रूप में नहीं हैं। उन पर किसी साक्षी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं तथा उन्हें धारा 161 द०प्र०सं० के अधीन कथन के रूप में माना जाए तो उस पर कथनकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी अंकित हो ऐसे में वह धारा 161 की परिधि में भी नहीं आता। साथ ही अभिकथित कथनों के आधार पर अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई भी संपत्ति जप्त नहीं की गई है। ऐसी दशा में कथन जिन से किसी तथ्य का पता चलता है,वे कथन धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन के रूप में हो गए हैं, किंतु उक्त कथनों से किसी तथ्य का पता नहीं चला। ऐसे में अभियुक्त रामिबहारी व अनिल उर्फ कुंडे के कथन अभियोजन के समर्थन में कोई सहायता प्राप्त नहीं करता।

- 19. प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य में उपरोक्त विसंगतियां विद्यमान हैं, जो संपत्ति प्र0पी0 01 के अनुसार जप्त होना दर्शायी गई है उनमें ऐसी कोई संपत्ति नहीं हैं, जिसकी पहचान विशेष रूप से कराई गई हो। संपत्ति आसानी से बाजार में उपलब्ध होने वाली संपत्ति है। फरियादी से अभिकथित संपत्ति की कोई शिनाख्ती नहीं कराई गई है। साथ ही अभियुक्तगण के संबंध में साक्षियों के द्वारा उनकी न्यायालय के समक्ष पहिचान की गई हो, ऐसा भी अभिलेख पर नहीं है, जबिक अभियुक्त अनिल उर्फ मोनू व बृजेश के संबंध में अभियोजन सािक्षयों के परस्पर विरोधाभाषी कथन किए गए हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला उपरोक्त विसंगतियों व विरोधाभाषों के कारण संदिग्ध की श्रेणी में आता है।
- 20. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 18.11.2010 के सुबह करीब 04:00 बजे फरियादी दीपू अग्रवाल की दुकान जो कि संपत्ति की अभिरक्षा में आती है, में प्रवेश कर उसमें रखा किराने का सामान बेईमानी की नियत से ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया तथा फरियादी की दुकान में

चोरी करने की नियत से रात्रि में प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 380, 457 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 21. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 22. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील होने पर मान् अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 23. यदि अभियुक्तगण इस प्रकरण में निरोध में रहे तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही/-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

